[भारत के राज-पत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं० 39/ 2018-सीमाशुल्क (गै.टे.)

नयी दिल्ली, 11 मई, 2018

सा. का. नि. ------ (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, (52 का 1962) 1962 की धारा 5 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद द्वारा नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित रैंक के सीमाशुल्क अधिकारियों के रूप में, उक्त अधिनियम की धारा 99क के अंतर्गत लेखा परीक्षा के कार्य को करने के लिए नियुक्त करता है, यथा: -

सारणी

क्रम संख्या	सीमाशुल्क आयुक्तालय (लेखा परीक्षा) के अधिकारी	सीमाशुल्क अधिकारी का रैंक
(1)	(2)	(3)
1.	प्रधान आयुक्त या आयुक्त	प्रधान आयुक्त या आयुक्त
2.	अपर आयुक्त	अपर आयुक्त, सीमाशुल्क
3.	संयुक्त आयुक्त	संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क
4.	उप आयुक्त	उप आयुक्त, सीमाशुल्क
5.	सहायक आयुक्त	सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क
6.	अधीक्षक या अप्रेजर	अधीक्षक या अप्रेजर
7.	निरीक्षक या परीक्षक	निरीक्षक या परीक्षक

[**फ़ाइल संख्या** 450/100/2017-**सीमाशुल्क** IV]

(ज़ुबैर रियाज़)
निदेशक (सीमाशुल्क)